# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्था/ 2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री राम दयाल बैरवा, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊम, काबरा, जिला टोंक का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुल्तानजी का खेरवाडा, जिला उदयपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री राम दयाल बैरवा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4140/2019 राम दयाल बैरवा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 4140/2019 में माननीय अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.12.2019 द्वारा अपिलार्थी श्री राम दयाल बैरवा को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में 15 दिवस में सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण निर्णय के क्रम में अपिलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं के सेवा निवृति में 18 माह शेष होने व माता–पिता की सेवा एवं स्थानान्तरित स्थान के दूरस्थ होने को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन रा0उ0मा0वि0 जोधपुरिया, निवाई, रा0उ0मा0वि0, उनियारा, रा0उ0मा0वि0 मेंहन्दवास, टोंक या निवाई तहसील में किसी रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर किये जाने की मांग की गई।

अपिलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें राज्य हित/छात्र हित अथवा प्रशानिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। अपीलार्थी की सेवानिवृति में करीब 18 माह शेष है इसलिए इनके द्वारा पेंशन परिलाभों को प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई अपेक्षित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन का मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा अपने स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री राम दयाल बैरवा, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जा कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

16/01

**(हिमांशु गुप्ता)**
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

**क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/राम दयाल/4140/2019 दिनांकः** 16.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
4. सम्बन्धित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
6. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित प्रधानाचार्य।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निदेशक(कार्मिक)**

Scanned by CamScanner